(5)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/69

रितेश सीहरा आत्मज रामसहाय मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

––अपीलांट

बनाम

1. रामदेव आत्मज भंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
2. अनोख पुत्री मांग्या जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 हाल पत्नि मोजीराम जाति मीणा निवासी देवपुरा गाडरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
3. कन्या बैवा पत्नि मांग्या जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
4. कमलेशी बाई पुत्री मांग्या जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान हाल पत्नि हंसराज जाति मीणा निवासी देवपुरा गाडरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
5. गोल्या पुत्री मांग्या जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 हाल पत्नि कंवरपाल जाति मीणा निवासी ऊम तहसील एवं जिला टोंक राज0
6. दिनेश आत्मज सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
7. शक्ति आत्मज सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
8. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
9. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. शाखा बून्दी जिला बून्दी
10. भूमिधारी तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 2 लगा. 5 की ओर से।

अपील संख्या 2025/69
रितेश सीहरा बनाम रामदेव, सरकार

निर्णय दिनांक: 26.08.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 92/2024 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.10.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम देई पटवार हल्का देई भू०अ०नि० क्षेत्र० देई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज० की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 103 पुराना 84 के खसरा संख्या 1597 रकबा 0.4773 हेक्टयर, खसरा संख्या 1598 रकबा 1.0436 हेक्टयर खसरा संख्या 1599 रकबा 0.0243 हेक्टयर, खसरा संख्या 1600 रकबा 0.1375 हेक्टयर, खसरा संख्या 1601 रकबा 1.2135 हेक्टयर, खसरा संख्या 2379 रकबा 0.1294 हेक्टयर, खसरा संख्या 2380 रकबा 0.0405 हेक्टयर, खसरा संख्या 2381 रकबा 0.3479 हेक्टयर, खसरा संख्या 2382 रकबा 0.2265 हेक्टयर, खसरा संख्या 2383 रकबा 0.0647 हेक्टयर, खसरा संख्या 2384 रकबा 0.0162 हेक्टयर, खसरा संख्या 2386 रकबा 0.1214 हेक्टयर, खसरा संख्या 2387 रकबा 0.0728 हेक्टयर, खसरा संख्या 2389 रकबा 0.3074 हेक्टयर, खसरा संख्या 3995 रकबा 2.5645 हेक्टयर कुल किता 15 कुल रकबा 6.7875 हेक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का संयुक्त हिस्सा 1/4 व प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 का संयुक्त हिस्सा 1/8,1/8 तथा प्रत्यार्थी संख्या 5 व 6 का भी संयुक्त हिस्सा 1/8, 1/8 है जो रिकोर्ड ऑफ राईटस दर्ज हो रहा है। नकल जमाबंदी सलंग्न है। प्रार्थी एवं प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 6 ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विभाजन वर्षों पूर्व मौखिक रूप से गांव के मोतबिर व्यक्तियो के समक्ष कर रखा है जिसके अनुसार प्रार्थी के हिस्से में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में से खसरा संख्या 2379 रकबा 1.1294 हेक्टयर, खसरा संख्या 2380 रकबा 0.0405 हेक्टयर, खसरा संख्या 2381 रकबा 0.3479 हेक्टयर, खसरा संख्या 2384 रकबा 0.0162 हेक्टयर, खसरा संख्या 1598 रकबा 1.0436 हेक्टयर, खसरा संख्या 2386 रकबा 0.1214 हेक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.6990 हेक्टयर कृषि भूमि आई थी, इसी प्रकार प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से में खसरा संख्या 3995 रकबा 2.

5645 हेक्टयर, खसरा संख्या 1601 रकबा 0.8292 हेक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.3937 हेक्टयर तथा इसी प्रकार प्रत्यार्थी संख्या 5 लगायत 6 के हिस्से में खसरा संख्या 1597 रकबा 0.4773 हेक्टयर, खसरा संख्या 1595 रकबा 0.0243 हेक्टयर, खसरा संख्या 1600 रकबा 0.1375 हेक्टयर, खसरा संख्या 2383 रकबा 0.0647 हेक्टयर, खसरा संख्या 1601 रकबा 0.3843 हेक्टयर, खसरा संख्या 2387 रकबा 0.0728 हेक्टयर, खसरा संख्या 2389 रकबा 0.3074 हेक्टयर, खसरा संख्या 2382 रकबा 0.2265 हेक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.6948 रामदेव हेक्टयर कृषि भूमि आई थी। विभाजन के बाद से ही प्रार्थी अपने हिस्से बटवारे की भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के खेती काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी ने अपने हिस्से बटवारे की भूमि पर उड़द व सोयाबिन की फसल बो रखी है। उक्त विभाजन लिखित में नही तथा प्रत्यार्थी संख्या 9 श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां की सहमति से नहीं होने के कारण प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 4 के मन मे बदयान्ति आ गई इस उद्धेश्य की पूर्ति हेतु प्रत्यार्थी संख्या । लगायत 4 प्रार्थी को अपने हिस्से बटवारे की भूमि से बैदखल करने हेतु दिनांक 13.09.2024 को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आये और कहने लगे कि इस भूमि पर तुझे किसी भी कीमत पर खेती काश्त नहीं करने देगें तुझे इस भूमि से बैदखल करके सम्पूर्ण भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा करके ही रहेगें यह कहकर प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 प्रार्थी को मारने दोडे तो प्रार्थी ने कहा कि इस भूमि का बटवारा तो हम सब ने मिलकर आपसी सहमति से वर्षों पूर्व ही कर लिया था और मै तो अपने हिस्से की भूमि पर खेती काश्त कर रहा हूँ इसलिए आपको इसमें कोई आपत्ति नही होनी चाहिए प्रार्थी के इतना कहते ही प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी के साथ गाली गलोच कर मारपीट पर आमदा होने लगे तथा कहने लगे कि हम किसी विभाजन को नही मानते हम तेरे हिस्से की भूमि पर कब्जा करके इसका बैचान करके ही रहेगे वहां मौजूद अन्य काश्त कार व्यक्तियो ने प्रार्थी का बीच बचाव कर प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 4 को वहां से भगाया, प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 जाते जाते धमकी देकर गये है कि आज तो हम जा रहे है लेकिन हम किसी भी सुरत में तुझे इस भूमि पर से ताकत के बल पर जबरन बेदखल करके स्वयं कब्जा करके ही रहेगें । प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का पूर्व में हुए विभाजन को राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाकर अपने आपको अलग से खातेदार घोषित करवाये तथा लगान भी अलग से निर्धारित करवाये। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या में वर्णित भूमि प्रत्यार्थी संख्या 7 व 8 के रहन मु.बि.क. दर्ज होने से पक्षकार बनाये गये है जिनके विरूद्ध कोई याचना नही चाही गई है। प्रत्यार्थी संख्या 5 व 6 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि सहखातेदारी में दर्ज होने से आवश्यक

पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई याचना नही चाही गई है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी प्रत्यार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 प्रार्थी के हिस्से बटवारे की भूमि पर प्रार्थी के शांतिपूर्वक कृषि काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, भूमि को नष्ट भ्रष्ट व खुर्द बुर्द नहीं करे, भूमि को रहन बैचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नही करे, प्रार्थी के कृषि भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाथा उपस्थित नही करे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करवाये।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के मोके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.10.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई । अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट ने वादग्रस्त कृषि आराजी की कुल 9

किता की 1.3268 है0 आराजी में से 1/2 हिस्सा पूर्व खातेदार अनोख पुत्री मांग्या, कमलेशी पुत्री मांग्या, गोप्या पुत्री मांग्या व कन्या पत्नी मांग्या जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक–10–09–2024 को खरीद किया, जिसका नामान्तकरण बैचान–पत्र के आधार पर खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्से का अपीलांटको खातेदार के रूप में जमाबन्दी में नाम का अंकन किया गया, तब से अपीलांटउक्त आराजी के 1/2 हिस्से का बतौर खातेदार मालिक, काबिज काश्त उक्त भूमि पर चला आ रहा है। वर्तमान में अपीलांटने अपने हिस्से की आराजी पर फसल बोई हुई है, जो कि लगभग पक चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने से मौके पर लडाई–झगडे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट क्रम–1, अपीलांट को परेशान व जबरन कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त करना चाहेगा, जिसका उसको किसी भी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटपक्षकार नही था। जानबूझकर वादी रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानकारी होते हुऐ व जमाबन्दी में नाम होते हुऐ भी पक्षकार नही बनाया और एक तरफा वाद प्रस्तुत कर मनमाना आदेश अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांटको होते ही तथा मौके पर दिनांक 24–02–2025 को अपीलांटको निर्णय की प्रति दिखाकर धमकी दी गयी और कहा कि इस जमीन पर तो हमारे पक्ष में स्टे हो गया है, अब तुम्हे फसल काटने नही देगें, आनन फानन में अपीलांटने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जाकर दिनांक 25–02–2025 को अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त कर नकल हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया, जिसकी नकल दिनांक 28–02–2025 को प्राप्त हुई। विधिक परामर्श लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अवधि मध्य माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। जानकारी के अभाव में जो विलम्ब हुआ है, वह क्षमा योग्य है। अपील को जानकारी की दिनांक से अवधि मध्य मानकर डिले को कन्डोन करते हुऐ सुनवाई किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी की अवधि को कन्डोन करते हुऐ प्रार्थी अपीलांटको सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कृपा करे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नही है। जबकि वादग्रस्त कृषि आराजी में अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित है, जो राजस्व रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यो को छिपाया है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है और उसका हित प्रभावित हो रहा है

और मौके पर लडाई–झगडे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, इसलिए अपीलांट माननीय न्यायालय की इजाजत से अपील पेश कर रहा है, जिसकी अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को प्रस्तुत अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर प्रार्थी अपीलांट की अपील को सुनवाई हेतु रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को बिना सूचना व सुनवाई के प्रथम तारीख पेशी पर ही अन्तिम रूप से निर्णित कर दिया. जो नेसर्गिग न्याय के सिद्धान्तो की पूर्णतया अवहेलना है, ऐसा आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के प्रावधानो की भी पालना नहीं की है, यदि अधीनस्थ न्यायालय अन्तरिम आदेश पारित करता है, तो उसके लिए एक महिने से अधिक की तारीख पेशी नही दी जा सकती, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अवलोकन से ही जाहिर होता है कि तलवी हेतु प्रार्थना–पत्र व वाद को दर्ज करने के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 7–11–2024 नियत की गयी, परन्तु आदेशिका लिखे जाने के पश्चात पुनः हस्तलिखित आदेश को लिखकर अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर अन्तिम रूप से निर्णय पारित कर दिया, जिसके पश्चात न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक 6–3–2025 अंकित की गयी, जो प्रथम दृष्टया ही एक पक्षीय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पारित किया गया निर्णय प्रतीत होता है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी जमाबन्दी का अवलोकन किया जाना आवश्यक था, खाता संख्या पुराना–103 की जमाबन्दी में खातेदार दिनेश पुत्र सीताराम, रामदेव पुत्र भंवरिया, रितेश सीहरा पुत्र रामसहाय मीणा, शंकर पुत्र सीताराम चार खातेदार का नाम रिकॉर्ड में अंकित था, जिसमें कृषि भूमि खसरा संख्या–2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2386, 1387, 2389 कुल किता 9 की 1.3268 है0 कृषि भूमि में अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित था। अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है, जो पूर्णतया विधि के विरूद्ध है, प्रथम दृष्टया नोन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज का दोष प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इसी स्तर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर जो त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, वह प्रथम

दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने वादग्रस्त कृषि आराजी की कुल 9 किता की 1.3268 है० आराजी में से 1/2 हिस्सा पूर्व खातेदार अनोख पुत्री मांग्या, कमलेशी पुत्री मांग्या, गोप्या पुत्री मांग्या व कन्या पत्नी मांग्या जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 10–09–2024 को खरीद किया, जिसका नामान्तकरण बैचान–पत्र के आधार पर खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्से का अपीलांट को खातेदार के रूप में जमाबन्दी में नाम का अंकन किया गया, तब से अपीलांट उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का बतौर खातेदार मालिक, काबिज काश्त उक्त भूमि पर चला आ रहा है। वर्तमान में अपीलांट ने अपने हिस्से की आराजी पर फसल बोई हुई है. जो कि लगभग पक चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने से मौके पर लडाई–झगडे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट क्रम–1, अपीलांट को परेशान व जबरन कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त करना चाहेगा, जिसका उसको किसी भी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटपक्षकार नही था। जानबूझकर वादी रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानकारी होते हुऐ व जमाबन्दी में नाम होते हुऐ भी पक्षकार नही बनाया और एक तरफा वाद प्रस्तुत कर मनमाना आदेश अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को होते ही तथा मौके पर दिनांक 24–02–2025 को अपीलांट को निर्णय की प्रति दिखाकर धमकी दी गयी और कहा कि इस जमीन पर तो हमारे पक्ष में स्टे हो गया है, अब तुम्हे फसल काटने नही देगें, आनन फानन में अपीलांटने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जाकर दिनांक 25–02–2025 को अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त कर नकल हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया, जिसकी नकल दिनांक 28–02–2025 को प्राप्त हुई। विधिक परामर्श लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अवधि मध्य माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। जानकारी के अभाव में जो विलम्ब हुआ है, वह क्षमा योग्य है। अपील को जानकारी की दिनांक से अवधि मध्य मानकर डिले को कन्डोन करते हुऐ सुनवाई किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नही है। जबकि वादग्रस्त कृषि आराजी में अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित है, जो राजस्व रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यो को छिपाया है। अपीलांट हित बद्ध पक्षकार है और उसका हित प्रभावित हो रहा और मौके पर लडाई–झगडे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, इसलिए अपीलांट माननीय न्यायालय की इजाजत से अपील पेश कर रहा है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07–10–2024 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान

करते हुऐ पुनः नये सिरे से आदेश प्रदान करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को दिशा निर्देश जारी किये जावे, तब तक अपीलांटके खाते की उक्त कृषि आराजी में किसी प्रकार की दखल अंदाजी रेस्पोडेन्ट क्रम–1 द्वारा नही किये जाने हेतु रेस्पोडेन्ट क्रम–1 को जर्ये स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह भी प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.10.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रार्थी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था तथा अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत करके अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा हैं। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार ग्राम देई की खाता संख्या 103 की आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट का 1/2 हिस्सा दर्ज है। अतः अपीलांट वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार होने से हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार कायम किए बिना ही प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.10.2024 पारित किया गया है हमारे मत में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 से प्रभावित पक्षकार है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(13)

अपील संख्या 2025/69
रितेश सीहरा बनाम रामदेव, सरकार

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किया गया जिससे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.10.2024 की जानकारी नहीं हो सकी। चूंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत प्रकरण में पक्षकार नहीं था अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.10.2024 की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तगर्त धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.10.2024 के अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के मोके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश अंकित है तथा आगामी पेशी 07.11.2024 नियत किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.10.2024 अंतरिम प्रकृति का आदेश है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं हुआ है। अतः प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.10.2024 अंतरिम प्रकृति का आदेश होने के कारण हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत प्रकरण में विधिक प्रकिया के तहत अपना पक्ष रखकर वांछित अनुतोष प्रदान करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.1.2024 में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए जाने का आदेश अंकित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कहीं भी प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.10.2024 के पारित किए जाने के पश्चात अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए जाने का अंकन नहीं है। सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3(क) के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का तीन माह में अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना आवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 8 माह का समय बीत जाने के उपरांत भी प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया गया है। अतः हमारे मत में

प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.10.2024 सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी का अपीलांट अभिलिखित खातेदार होने से हस्तगत प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार कायम किए बिना ही प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.10.2024 पारित किया है। अतः न्यायहित में हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार कायम किए जाने के निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार कायम करें तथा उभयपक्षकारान को सुनकर, सी.पी.सी. के आदेश 39 में विहित प्रावधानों की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करें।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/8/25

(पुरुषोत्तम प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा